

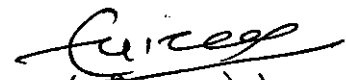


छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 04/12/2017

क्र. 1165/F-01001066/ब-4/चार, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 289, 290/F-04-1001066/सम./ब-4/चार, दिनांक 02.06.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के पद संरचना के संबंध में गठित समिति में निम्नानुसार संशोधन कर समिति का गठन किया जाता है :-

- | | |
|--|-----------|
| 1. सचिव, वित्त विभाग | - अध्यक्ष |
| 2. सामान्य प्रशासन विभाग का प्रतिनिधि
(जो उप सचिव, से निम्न स्तर का न हो) | - सदस्य |
| 3. संबंधित विभाग का बजट देखने वाले
संयुक्त सचिव/उप सचिव | - सदस्य |
| 4. संयुक्त सचिव/उप नियम शाखा | - सदस्य |


(सतीश पाण्डेय)
अपर सचिव

पृ.क्र. 1166/F-01001066/ब-4/चार,
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 04/12/2017

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
3. संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव के निज सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
4. समस्त अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
5. समस्त बजट शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।


(सतीश पाण्डेय)
अपर सचिव